


18.07.2024:—पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी साख्य नहीं पेश करना चाहते। साक्ष्य बन्द की जाती है। वादी वकील के निवेदन पर पत्रावली में सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर रखते हुए। वादा पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में पत्र जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को पत्र जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

